कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0 / युगलपीठ / ——— / 2026 दि0 लखनऊः 13 अगस्त, 2026

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक–775 / 2026 दिनांक 09.07.2026 के द्वारा माह अगस्त, 2026 में **जनपद कानपुर** में युगलपीठ का गठन **दिनांक 17.08.2026 से 19.08.2026** तक किया गया है। उपरोक्त युगलपीठ में न्यायिक सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 **लखनऊ** नामित किया गया है।

सदस्य, पीठ–1 **लखनऊ** ने पत्र संख्या 592 दिनांक 12.08.2026 द्वारा मुख्यालय एवं मुख्यालय के अर्न्तगत आने वाली 31 पीठ कार्यालयों से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के दृष्टिगत उपरोक्त खण्डपीठ से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश संख्या–775 / 2026 दिनांक 09.07.2026 द्वारा **जनपद कानपुर** में **दिनांक 17.08.2026 से 19.08.2026 तक गठित युगलपीठ** को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0 / 13.08.2026
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशो0 / 918 / 2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2, 3 व 4, कानपुर ।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 लखनऊ ।
3– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
4– प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता) / विवरण / वेव अधिकारी / नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार)
निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।